(16)

न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 97/1994 (नवीन नंबर 02/2016)

G.C.M.S. No. 1994/00001 **दर्ज दिनांक : 22.11.1994**

अपीलार्थिगणः

1. लक्ष्मणराम पुत्र बालुराम जी जाति ब्राहम्ण निवासी 4 गुलाब मुथा कॉलोनी, सब्जी मण्डी लिंक रोड़, विजय नगर रोड़ के पास, ब्यावर जिला ब्यावर।
2. महेन्द्र कुमार पुत्र रामचन्द्र जी जाति ब्राहम्ण नि. बी.एस.एन.एल. कॉलोनी जोधपुर।
3. मनीष कुमार पुत्र रामचन्द्र जी जाति ब्राहम्ण नि. सुरजपोल गेट, माली मंदिर गली, ब्यावर, जिला ब्यावर।

बनाम

प्रत्यर्थिगणः

1. मदनलाल पुत्र मोहनलाल जी जाति ब्राह्मण निवासी सुरजपोल गेट, माली मंदिर गली, ब्यावर, जिला ब्यावर।

1/1 गीता देवी बेवा स्व. श्री मदनलाल ब्राह्मण

1/2 घनश्याम शर्मा पुत्र स्व. श्री मदनलाल ब्राह्मण

1/3 सुनील शर्मा पुत्र स्व. श्री मदनलाल ब्राह्मण

1/4 नरेन्द्र शर्मा पुत्र स्व. श्री मदनलाल ब्राह्मण

निवासीगण फ्लेट नम्बर जी.एफ–1, जेसमीन चालेट, 402, एफ ब्लॉक 13बी क्रॉस, 18 मैन, पोस्ट ऑफिस, सहकार नगर के पास, बैंगलोर (कर्नाटक)

2. बंशीलाल पुत्र मोहनलाल जी के विधिक वारिसानः–

2/1–राधेश्याम पुत्र बंशीलाल फौत के विधिक वारिसानः–

2/1/1– मनीष कुमार पुत्र स्व. राधेश्याम बालिग

2/1/2– अवनीश कुमार पुत्र स्व. राधेश्याम बालिग

2/1/3– सुशीला देवी बेवा स्व. राधेश्याम तमाम जाति ब्राह्मण निवासी 66 वृद्धावंन अराजपत्रित कर्मचारी कॉलोनी अजमेर रोड़ ब्यावर जिला ब्यावर।

2/1/4– गिरजा तिवाडी पुत्री राधेश्याम जी धर्म पत्नी रतीम जी तिवाडी जाति ब्राह्मण पता–कला तिवाड़ी एल.आई.सी. कॉलोनी, डॉ. एस. के. अरोडा से दूसरी गली, अजमेर,

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

जिला अजमेर।

2/2–मुरलीधर पुत्र बंशीलाल जी

2/3–नन्द किशोर पुत्र बंशीलाल जी

2/4–सत्यनारायण पुत्रगण बंशीलाल जी जाति ब्राह्मण निवासीगण सुरजपोल गेट, ब्यावर जिला ब्यावर के विधिक वारिसान:–

2/4/1 नूतन शर्मा बेवा सत्यनारायणजी शर्मा निवासी सुरजपोल गेट, माली मन्दिर गली, ब्यावर जिला ब्यावर।

2/4/2 शिवम शर्मा पुत्र श्री सत्यनारायणजी शर्मा निवासी सुरजपोल गेट, माली मन्दिर गली, ब्यावर जिला ब्यावर।

2/4/3 शुभम शर्मा पुत्र श्री सत्यनारायणजी शर्मा निवासी सुरजपोल गेट, माली मन्दिर गली, ब्यावर जिला ब्यावर।

2/5–पुष्पा पुत्री बंशीलाल जाति ब्राह्मण निवासी हाल बलदेव नगर, अजमेर, जिला अजमेर।

3. मृतक चांद कंवर उर्फ कमला देवी प्रधान पुत्री मोहनलाल बेवा मोतीलाल जी जाति ब्राह्मण के विधिक वारिसान:–

3/1–ओम प्रकाश प्रधान पुत्र चांदकंवर उर्फ कमला देवी प्रधान एवं मोतीलाल जाति ब्राह्मण निवासी महावीर कॉलोनी रोड़वेज बस स्टेन्ड के सामने, मदनगंज, किशनगढ़ जिला अजमेर।

3/2–राजेन्द्र प्रधान पुत्र चांदकंवर उर्फ कमला देवी प्रधान पुत्र मोतीलाल जाति ब्राह्मण निवासी गुसाई जी की घाटी की नीचे पुराना शहर किशनगढ़ जिला अजमेर।

3/3 श्रीप्रकाश प्रधान पुत्र चांदकंवर उर्फ कमला देवी प्रधान पुत्र मोतीलाल जाति ब्राह्मण निवासी कोट गेट, परसानियों की गली, डीडवाना, जिला डीडवाना कुचामन।

3/4–मृतक सुर्य प्रकाश पुत्र चांदकवर उर्फ कमला देवी प्रधान पुत्र मोतीलाल फौत के वारिसान:–

3/4/1– आनन्द कुमार पुत्र सुर्य प्रकाश

3/4/2– हेमन्त कुमार प्रधान पुत्र सुर्य प्रकाश,

3/4/3– अन्नपूर्णा बेवा सुर्य प्रकाश, जातिगण ब्राहम्ण निवासीगण मकान नम्बर 510, 75 ई कोस 10, सिक्स ब्लोक, एफ मैन, राजाजी नगर, बैंगलोर 560100

3/4/4– उषा गौड़ पत्नि घनश्याम गौड़ पुत्री चांद कंवर उर्फ कमला

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

(18)

देवी प्रधान बेवा मोतीलाल जाति ब्राह्मण, निवासी गौड भवन के पास, डीडवाना जिला डीडवाना कुचामन।

3/4/5– शकुन्तला पत्नी श्री श्याम प्रसाद साचोरिया उर्फ महाराजा शिवा पुत्री चांदकंवर उर्फ कमला देवी प्रधान बेवा मोतीलाल जाति ब्राह्मण निवासी अम्बेकेश्वर मंदिर के पास, बलदेव नगर, माकड़वाली रोड़ अजमेर, जिला अजमेर।

3/4/6– सुमित्रा शर्मा पुत्री चांद कंवर उर्फ कमला देवी प्रधान बेवा मोतीलाल जाति ब्राह्मण पता–केयर ऑफ ओन प्रकाश प्रधान, महावीर कॉलोनी रोड़वेज बस स्टेन्ड के सामने, मदनगंज, किशनगढ़, जिला अजमेर।

4. मृतक श्रीमति गीता देवी पुत्री मोहनलाल जी धर्म पत्नी नेमीचन्द जी के विधिक वारिसान–

4/1–धनश्याम शर्मा पुत्र श्रीमति गीतादेवी एवं नेमीचन्द जाति ब्राहम्ण जिसके विधिक वारिसान:–

4/1/1 गोपाल पुत्र घनश्याम

4/1/2 गायत्री पुत्री घनश्याम

4/1/3 हिरामणी पुत्री घनश्याम

4/1/4 जमना पत्नी घनश्याम तमाम जातिगण ब्राहम्ण

4/2–गायत्री देवी पुत्री श्रीमति गीतादेवी वं नेमीचन्द जाति ब्राहम्ण पत्नी सुभाष चन्द्र शर्मा निवासी वार्ड नम्बर 18, शिवा कॉलोनी, वृद्धाश्रम के सामने, हरीभाउ विस्तार, नगर पुष्कर रोड़, अजमेर, जिला अजमेर।

4/3–प्रकाश चन्द्र शर्मा पुत्र श्रीमति गीतादेवी एवं नेमीचन्द जाति ब्राहम्ण ठिकाणा मकान नम्बर 97, सात क्रॉस कावेरी नगर, थर्ड फेस, पीनिया अपोजिट, आई.आर. पॉलोटेक्निक कॉलेज बैंगलोर 58

4/4–लक्ष्मीनारायण गौड़ पुत्र श्रीमति गीतादेवी एवं नेमीचन्द जाति ब्राह्मण, निवासी 1416952 क्रॉस, आठवा मैन, फोर्थ ब्लोक, राजाजी नगर, बैगलोर–10

4/5–कैलाश शर्मा पुत्र श्रीमति गीतादेवी एवं नेमीचन्द जाति ब्राह्मण, निवासी 24 दयाल जी पार्क, रोहट हाउस, पना जकात नाका, परवत पाटीया, डुम्भाल, सुरत (गुजरात)

4/6–कन्हैयालाल शर्मा पुत्र श्रीमति गीतादेवी एवं नेमीचन्द जाति ब्राहम्ण, निवासी–बलाड़ रोड़, दादाबाड़ी के पीछे, बाबा बर्फानी मंदिर के सामने,

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

ब्यावर जिला ब्यावर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 9 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी विरूद्ध आदेश दिनांक 23.02.1982 जो अपील संख्या 85/1979 बअनवान रामचन्द्र वगैरह बनाम मदनलाल वगैरह में पारित किया गया एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 पैरोकार:–

1. श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री मदनदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स।

निर्णय

दिनांक: 01.08.2025

प्रार्थीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी विरूद्ध आदेश दिनांक 23.02.1982 जो अपील संख्या 85/1979 बअनवान रामचन्द्र वगैरह बनाम मदनलाल वगैरह के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि प्रार्थीगण की अपील श्रीमान की अदालत में पैरवी करने हेतु श्री लक्ष्मीनारायण योगानंदी अधिवक्ता को जोधपुर के लिए नियुक्त किया गया था। प्रार्थीगण मनीष व महेन्द्र के पिता रामचन्द्र द्वारा अपील पैरवी के लिए दी गई थीं। रामचन्द्र का देहांत दिनांक 26.02.1986 को ब्यावर में हो गया था। तब प्रार्थी महेन्द्र सैकण्डरी में तथा मनीष आठवीं कक्षा में पढ़ता था। जिन्हें अपील संबंधी कोई जानकारी नहीं थीं। प्रार्थी लक्ष्मणराम अपने बड़ें भाई रामचन्द्र के विश्वास पर जमीन संबंधी जहां–जहां हस्ताक्षर करने को कहा, अपने हस्ताक्षर किए थें। लेकिन अपील कहां विचाराधीन है, इस संबंध में प्रार्थी लक्ष्मणराम को भी जानकारी नहीं थीं। क्योंकि प्रार्थी लक्ष्मणराम भारतीय रेलवे में बाहर कार्यरत थें।

यह कि उपखंड अधिकारी जैतारण ने दिनांक 10.10.1994 को भूमि का कब्जा देने संबंधी आदेश किया और रेकर्ड में ग्राम रास तहसील जैतारण के खसरा नंबर 759 के कब्जा देने व दुरूस्ती का आदेश दिया। जिस पर उक्त तथ्य की जानकारी श्री रामसिंह राठौड़ अधिवक्ता ने दी कि आपके विरूद्ध एस.डी.ओ. जैतारण द्वारा आदेश दिनांक 27.02.1976 को मुकदमा संख्या 05/1971 के जरिये खिलाफ फैसला हुआ है। जिसकी अपील रामचन्द्र ने जोधपुर की थीं। जो अपील उनके द्वारा पैरवी नहीं करने से दिनांक 23.02.1982 को खारिज हो चुकी हैं। इसलिए पूर्व आदेश को वापिस खुलवाओगे तो ही आदेश दिनांक 10.10.1994 निरस्त हो सकता है। जिस पर अपीलांट प्रार्थीगण जोधपुर गए एवं वहां पूछताछ कर पता चला कि उक्त अपील के कागजात पाली चले गए हैं, तब दिनांक 21.10.1994 को पाली आए एवं पता किया तो उक्त अपील दिनांक 23.02.1982 को वकील की अनुपस्थिति में खारिज होना ज्ञात हुआ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

यह कि प्रार्थीगण की ओर से विधिवत पैरवी करने के लिए वकील श्री लक्ष्मीनारायण योगानंदी को पेशी पर उपस्थित रहने के लिए कहा था। लेकिन वे जानबूझकर या किस कारण से अनुपस्थित रहें, इसकी इत्तला आज दिन तक प्रार्थीगण को नहीं दी गई। इस प्रकार वकील की लापरवाही या उदासीनता का दण्ड पक्षकार को नहीं भुगताया जा सकता। यह सर्वोच्च न्यायालय का मत है। इस कारण उक्त आदेश दिनांक 23.02.1982 को निरस्त करना लाजमी है। वरना प्रार्थीगण के हक, अधिकारों पर गहरा कुठाराघात होगा तथा प्रार्थीगण को भूमि से वंचित होना पड़ेगा।

यह कि राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर में प्रार्थीगण की अपील विचाराधीन थीं। उस दरम्यान राजस्व अपील अधिकारी के दो खण्ड हो गए। प्रथम से द्वितीय व द्वितीय से प्रथम। इस तरह उक्त अपील अंतरित होती गई। जिसकी भी इत्तला प्रार्थीगण को उसके अधिवक्ता ने नहीं दी। इस तरह की बात भी प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री लक्ष्मीनारायण योगानंदी ने जाहिर किया। जो इत्तला नहीं देना भी विधि प्रतिकूल कृत्य था। जिसको निरस्त करना भी लाजमी है। प्रार्थीगण उक्त भूमि के खातेदार कृषक है। एस.डी.ओ. के आदेश व राजस्व अपील अधिकारी के आदेश दिनांक 23.02.1982 को अपील अदम पैरवी में खारिज हो जाने से उक्त आदेश की पालना आज तक रेकर्ड में दुरूस्त नहीं हुई हैं। लेकिन अब एस.डी.ओ. जैतारण ने दिनांक 10.10.1994 को उक्त आदेश की पालना हेतु तहसीलदार जैतारण को आदेश दिया है। इस कारण भी उक्त अदम पैरवी में खारिज अपील को पुनर्स्थापित कर दी जावें तो मैरिट पर उक्त आदेश का कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार फरमावें तथा आदेश दिनांक 23.02.1982 को निरस्त करते हुए अपील को पुनः सुनवाई हेतु बरामद करने का आदेश फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा में विचाराधीन अपील संख्या 85/1979 बअनवान रामचन्द्र वगैरह बनाम मदनलाल वगैरह में पारित आदेश दिनांक 23.02.1982 जिसके द्वारा अपील अपीलांट अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की गई थीं, के रेस्टोर हेतु हस्तगत प्रार्थना पत्र दिनांक 22.10.1994 को न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की। जो दिनांक 22.11.1994 को राजस्व विविध प्रकरण संख्या 97/1994 दिनांक 22.11.1994 को दर्ज रजिस्टर किया गया। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा हस्तगत

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र विहित कालावधि के बजाय लगभग 152 माह अर्थात 4560 दिवस के दीर्घ विलंब के साथ प्रस्तुत किया गया।

2. प्रार्थीगण द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए अवधि गणनार्थ आवेदन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रश्नगत आदेश दिनांक 23.02.1982 के संबंध में प्रार्थीगण को सर्वप्रथम जानकारी तब हुई, जब अधिवक्ता श्री रामसिंह राठौड़ ने एसडीओ जैतारण द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.10.1994 को हुआ, की जानकारी देते समय दी। जिस पर प्रार्थीगण ने उक्त आदेश दिनांक 23.02.1982 के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु जोधपुर गए, तब पता चला कि पत्रावली पाली चली गई हैं। तब दिनांक 21.10.1994 को पाली आए और जानकारी करने पर पता चला कि आदेश दिनांक 23.02.1982 को अपील अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण खारिज की गई हैं। जबकि इसके बारे में पूर्व में प्रार्थीगण को आज दिनांक तक जानकारी नहीं हुई थीं। न्यायालय में भी अपील बिना सुनवाई खारिज की हैं, इसलिए उसको पुनः सुनवाई कर निस्तारण करना लाजमी हैं, अन्यथा प्रार्थीगण के हक, अधिकारों पर गहरा कुठाराघात होगा। अतः निवेदन है कि प्रार्थी को जानकारी की तिथि से आवेदन अंदर म्याद शुमार फरमावें।

3. पत्रावली पर उपलब्ध मूल अपील की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अपीलांट रामचन्द्र एवं लक्ष्मण पुत्रगण बालूराम द्वारा रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई तथा अपीलांट्स की ओर से पैरवी हेतु अधिवक्ता नियुक्त किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र लक्ष्मण पुत्र बालूराम एवं मृतक रामचन्द्र के वारिसान की ओर से प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रार्थी लक्ष्मण स्वयं मूल अपील में अपीलांट था। न्यायालय हाजा द्वारा आदेश दिनांक 23.02.1982 को अपील अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की गई। इससे पूर्व की आदेशिका के अनुसार भी पत्रावली दिनांक 25.10.1976 से न्यायालय हाजा में जैरकार थीं तथा दिनांक 27.01.1982 तक अपीलांट द्वारा रेस्पोंडेंट्स की तलबी हेतु तलबी नहीं करवाई गई।

4. चूंकि प्रार्थीगण की ओर से पैरवी हेतु अधिवक्ता नियुक्त थें तथा प्रति पक्षकार का यह कर्तव्य होता है कि वह प्रकरण में अपने अधिवक्ता से नियमित रूप से संपर्क में रहे तथा प्रकरण में की जा रही कार्यवाही से अद्यतन रहें। किसी पक्षकार द्वारा अधिवक्ता नियुक्त करने का यह कतई तात्पर्य नहीं हो सकता कि वह प्रकरण के संबंध में पूर्णतया उदासीन व लापरवाह हो जाए।

5. प्रार्थीगण द्वारा विलंबकाल के लिए मुख्य रूप से यह कथन किया है कि उन्हें अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं थीं, उनके अधिवक्ता द्वारा उन्हें सूचित किए बिना स्वयं न्यायालय में अनुपस्थित रहें तथा उन्हें सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 21.10.1994 को हुई। हमारे विनम्र मत में प्रार्थीगण द्वारा प्रकट उक्त कथन महज बनावटी व काल्पनिक है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

अगर यह विश्वास कर भी लिया जाए कि उनके अधिवक्ता द्वारा उन्हें सूचित किए बिना न्यायालय में उपस्थित रहें तथा अपील अदम हाजरी में खारिज हुई, जिसकी जानकारी अधिवक्ता द्वारा उन्हें नहीं दी गई। लेकिन इसका यह कतई तात्पर्य नहीं हैं कि प्रार्थीगण लगभग 12 वर्ष 8 माह तक अनभिज्ञ रहें तथा इन्हें आदेश दिनांक 23.02.1982 की कोई जानकारी नहीं हुई हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण दीर्घकाल तक विचाराधीन व निर्णित प्रकरण के संबंध में अद्यतन स्थिति की जानकारी के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया एवं न ही अपने अधिवक्ता से संपर्क किया गया तथा न ही न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर प्रमाणित प्रतिलिपि बाबत कोई निवेदन किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण में लगभग 4560 दिवस का दीर्घ विलंब अपीलांट की पूर्णतया लापरवाही व उदासीनता के कारण घटित हुआ है।

6. विलंबकाल के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित प्रकरणों में प्रतिपादित मत अवलोकनीय है:–

1. 2007 (2) RRT 939 (S.C.) – Limitation Act, 1963-Sec. 5-condonation of delay-In-ordinate delay of 3320 days in filing appeal-Delay not properly and satisfactorily explained- Court can not condone the delay on sympathetic grounds-No reason given to condone the inordinate delay-Held, Order is not sustainable and set aside.

2. 2017 (1) RRT 117 (Raj. H.C.) - Limitation Act, 1963-Sec. 5 – Condonation of delay of 2344 days in filing appeal in action or indolence of the part of the litigant- liberal approach can not be adopted otherwise it may render the law of limitation nugatory and otiose – No sufficient cause to explain the delay, Held application and appeal are liable to dismiss.

3. 2024 RBJ 396 (S.C.) – Section 5 & 3 – As the provision of section 3 of limitation act appeal which is prefered after the expiry of limitation is liable to be dismissed. the use of word "shall" in the aforsaid provision cannotes that the dismissal is mandatory subject to the exception section 3 of the act is peremptory and

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

had to be given effect to even though no objection regarding limitation is taken by the other side or refered to in the pleadings. In other words, it casts an obligation upon the court to dismiss and appeal which is beyond limitation. This is general rule of limitation.

4. 2024 RBJ 463 (S.C.) – Section 5 - It hardly matters whether a litigant is a private party or a State or Union of India when it comes to condoning the gross delay of more than 12 years- If the litigant chooses to approach the court long after the lapse of the time prescribed under the relevant provisions of the law- then he cannot turn around and say that no prejudice would be caused to either side by the delay being condoned- This litigation between the parties started sometime in 1981- We are in 2024- Almost 43 years have elapsed- However, till date the respondent has not been able to reap the fruits of his decree- It would be a mockery again ask the respondent to undergo the rigmarole of the legal of justice if we condone the delay of 12 years and 158 days and once proceedings- (ii) The question of limitation is not merely a technical consideration- The rules of limitation are based on the principles of sound public policy and principles of equity- We should not keep the 'Sword period of time to be determined at the whims and fancies of the of Damocles' hanging over the head of the respondent for indefinite appellants. Appeal dismissed

7. हमनें माननीय न्यायालयों द्वारा उपर्युक्त प्रकरणों में प्रतिपादित अभिमत का ससम्मान अध्ययन व अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण की प्रकृति व परिस्थितियां उपर्युक्त प्रकरणों के समान है तथा माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित उपर्युक्त अभिमत हस्तगत प्रकरण में हूबहू चस्पा होते हैं। प्रार्थीगण द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए तथा विलंब के

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

कारणों के रूप में दर्शित आधार विश्वसनीय, युक्तियुक्त व स्वीकार योग्य नहीं होकर वस्तुतः प्रार्थीगण की लापरवाही व घोर उदासीनता के कारण विलंब घटित होना साबित है। ऐसी स्थिति में विलंबकाल माफ किये जाने योग्य नहीं हैं तथा प्रार्थीगण के साथ किसी भी दृष्टि से उदार रूख अपनाया जाना परिसीमा अधिनियम 1963 के विधिक प्रावधानों व मंशा के विपरीत होगा।

8. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि विलंबकाल माफीयोग्य नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा विलंबकाल माफ किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना तथा इसके फलस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण परिसीमा अवधि से बाधित होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

आदेश

अतः निष्कर्षतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है, फलस्वरूप प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी परिसीमा अवधि से बाधित होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 01.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner